



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 30 मार्च, 2026
चैत्र 9, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

संख्या 679/81-2-2026-29(63)-2025
लखनऊ, 30 मार्च, 2026
अधिसूचना

प0आ0-159

चूँकि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) के अधीन 'संरक्षित वन' के रूप में घोषित किये जाने के लिये प्रस्तावित की गयी है;

और चूँकि पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यह परीक्षण कर लिया गया है कि पूर्वोक्त भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित करने से किसी भी व्यक्ति को अधिकारों से वंचित नहीं किया जा रहा है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 'संरक्षित वन' घोषित करते हैं और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किन्हीं नियमों के अधीन समस्त ऋतुओं में उक्त भूमि पर प्रदत्त समस्त अधिकार और विशेषाधिकार अबाध रूप से जारी रहेंगे।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6
गोरखपुर	सदर	जंगला एकला संख्या-2	12 मि0 (12क)	0.543	उत्तर- गाटा संख्या-12 मि0 का भाग पूरब- गाटा संख्या-12 मि0 का भाग दक्षिण- गाटा संख्या-12 मि0 का भाग, गाटा संख्या-22 पश्चिम- गाटा संख्या-3,9

1	2	3	4	5	6
गोरखपुर	सदर	जंगला रामलखना	618 क	0.420	उत्तर— गाटा संख्या— 620, 619 पूरब— गाटा संख्या— 618 का भाग दक्षिण— आम रास्ता— चक मार्ग (गाटा सं०— 630) पश्चिम— गाटा संख्या— 618 का भाग
			योग	0.963	

आज्ञा से,
वी० हेकाली झिमोमी,
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 679/LXXXI-2-2026-29(63)-2025, dated March 30, 2026 :

No. 679/LXXXI-2-2026-29(63)-2025

Dated Lucknow, March 30, 2026

WHEREAS the land mentioned in the Schedule below has been proposed to be declared as 'protected forest' under the Indian Forest Act, 1927 (Act no. 16 of 1927);

AND, WHEREAS it has been examined under sub-section (3) of Section 29 of the aforesaid Act that no rights of any person are being deprived by declaring the aforesaid land as protected forest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under section 29 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare the land mentioned in the Schedule below to be 'protected forest' from the date of publication of this notification in the Official *Gazette* and it is also notified that all rights and privileges conferred on the said land across all seasons under any rules published by the State Government shall continue unabated.

SCHEDULE

District	Tehsil	Name of Village	Gata No.	Area (in Hectare)	Boundary Description
1	2	3	4	5	6
Gorakhpur	Sadar	Jungle Ekala No. 2	12 Mi (12Ka)	0.543	North -Part of Gata No.12 Mi East - Part of Gata No.12 Mi South - Part of Gata No.12 Mi, Gata No.22 West - Gata No.3, 9
		Jungle Ram Lakahana	618 Ka	0.420	North -Gata No.620, 619 East - Part of Gata No.618 South - Aam Rasta Chak Marg (Gata No.630) West - Part of Gata No.618
				Total	0.963

By order,
V. HEKALI ZHIMOMI,
Pramukh Sachiv.